

आदेश व इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 1014/2023 (धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)  
जाना रगोल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जी-2, प्राचण्ड पलोर, ग्रीन हाऊस, प्लॉट नं. ओ-15, अशोक  
मार्ग, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. गैरर्स KASHT KALA जरिये प्रोपराईटर श्रीमती प्रियंका गोयल,  
पता:- ग्राम लक्ष्मी नारायणपुरा, रोड नं. 17, दिल्ली बाईपास, जयपुर।
2. श्रीमती प्रियंका गोयल प्रोपराईटर M/S KASHT KALA,
3. श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद कुमार गुप्ता,  
पता:- प्लेट नं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 375 एण्ड 375-ए, शिव नगर, स्कीम नं.  
15-ए, विनायक रेजीडेन्सी, नियर गोरस भण्डार, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणीएवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002



उपस्थित:- इरफान खान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका गोयल पत्नी श्री विकास गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 375 एण्ड 375-ए, शिव नगर, स्कीम नं. 15-ए, विनायक रेजीडेन्सी, नियर गोरस भण्डार, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर स्थित प्लेट नं. एस-1, द्वितीय तल, कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट को बंधक रख कर ऋण खाता संख्या 45908640000302 में राशि 20,00,000/- रूपये एवं ऋण खाता संख्या 4590020000642870 में राशि 07,00,000/- रूपये, कुल राशि 27,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरसावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 27,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 27,73,313/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 31.08.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका गोयल पत्नी श्री विकास गुप्ता के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 375 एण्ड 375-ए, शिव नगर, स्कीम नं. 15-ए, विनायक रेजीडेन्सी, नियर गोरस भण्डार, मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर स्थित प्लेट नं. एस-1, द्वितीय तल, कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



24  
(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

